

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-डब्लू०/एन०पी०-91/2011-13 लाइसेन्स ट्र पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग—1, खण्ड (क) (उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 28 मार्च, 2013 चैत्र 7. 1935 शक सम्वत्

> उत्तर प्रदेश सरकार विधायी अनुभाग–1

संख्या 374/79-वि-1-13-1(क)-7-2013 लखनऊ, 28 मार्च, 2013

अधिसूचना विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 पर दिनांक 26 मार्च, 2013 को अनुमित प्रदान की और वह (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2013) के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2013)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम; 2013 कहा संक्षिपा नाम जाएगा। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29. सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10. सन् 1973 की धारा 4 का संशोधन 2—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में, उपधारा (1—क) में, खण्ड (ड.) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्:—

- "(च) एक विश्वविद्यालय जिसे सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर के रूप में जाना जायेगा:
- (छ) एक विश्वविद्यालय जिसे इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के रूप में जाना जायेगा;"

घारा 50 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (1—ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-

"(1-ग) जब तक कि इस धारा के अधीन सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम न बना लिये जायें, गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिनियम, जैसा वे उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन इस पर लागू होंगे जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्रावधानित किये जायें।

(1—घ) जब तक कि इस धारा के अधीन इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के प्रथम परिनियम न बना लिये जायें, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के परिनियम, जैसा वे उक्त विश्वविद्यालय के स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन इस पर लागू होंगे जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्रावधानित किये जायें।"

धारा 52 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 52 में, उपधारा (2—क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :--

"(2—ख) जब तक कि उपधारा (2) के अधीन सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश न बना लिये जायें, गोरखपुर विश्वविद्यालय के अध्यादेश, जैसा वे उक्त विश्वविद्यालय के स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन इस पर लागू होंगे जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्रावधानित किये जायें।

(2-ग) जब तक कि उपधारा (2) के अधीन इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के प्रथम अध्यादेश न बना लिये जायें, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के अध्यादेश, जैसा वे उक्त विश्वविद्यालय के स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन इस पर लागू होंगे जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्रावधानित किये जायें।"

अनुसूची का संशोधन

5-मूल अधिनियम की अनुसूची में, -

- (क) कम संख्या 3, 4 और 6 पर अंकित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :-
 - "3. छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
- (1) इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की स्थापना होने तक

इलाहाबाद, अमेठी, औरैया, इटावा, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, हरदोई, कन्नौज, कानपुर देहात. कानपुर नगर, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रायबरेली तथा उन्नाव जिले।

(2) इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की स्थापना हो जाने पर औरैया, अमेठी, इटावा, फर्रूखाबाद, हरदोई, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रायबरेली तथा उन्नाव जिले। 4— दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

(1) सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की स्थापना होने तक बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, संतकबीरनगर तथा सिद्धार्थनगर जिले।

(2) सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की स्थापना होने पर देवरिया, कुशीनगर तथा गोरखपुर जिले।

रापना हान पर

डा० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद

(1) इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की स्थापना होने तक अम्बेडकरनगर, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, फैजाबाद, गोण्डा, प्रतापगढ़, श्रावस्ती तथा सुल्तानपुर जिले।

(2) सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर तथा इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की स्थापना होने पर अम्बेडकरनगर, बहराइच, बाराबंकी, फैजाबाद, गोण्डा, तथा सुल्तानपुर जिले।

(ख) कम संख्या 11 के पश्चात् निम्नलिखित कम संख्यायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :--

"12 इलाहाबाद राज्य

इलाहाबाद, फतेहपुर, कौशाम्बी तथा प्रतापगढ़ जिले।

विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

13 सिद्धार्थ विश्वविद्यालय,

बलरामपुर, बस्ती, महाराजगंज, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर

कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर तथा संत कबीर नगर जिले।"

कठिनाइयों को दूर किया जाना

6—(1) राज्य सरकार, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर और इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की स्थापना से सम्बंधित किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि मूल अधिनियम के उपबंध ऐसी कालाविध में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुये, चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे:

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

- (2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।
- (3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपित नहीं की जायेगी कि उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट कितनाई विद्यमान नहीं थी अथवा उसको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

उद्देश्य और कारण

जनपद इलाहाबाद में विद्यमान राज्य विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान किया गया है। इस प्रकार जनपद इलाहाबाद में सम्प्रति कोई राज्य विश्वविद्यालय विद्यमान नहीं है जिसके कारण समीपवर्ती क्षेत्र के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार जनपद सिद्धार्थनगर में, जो भगवान गौतम बुद्ध के पिता की जन्मस्थली है, कोई विश्वविद्यालय विद्यमान नहीं है और समीपवर्ती क्षेत्रों के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इलाहाबाद और सिद्धार्थनगर के समीपवर्ती क्षेत्रों के लोगों को उनके अपने बच्चों को बिना किसी कठिनाई के उच्च शिक्षा प्रदान करने के मार्ग को प्रशस्त करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 को संशोधित करके उक्त प्रत्येक जनपद में कमशः इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर के नाम से राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की जांदें।

तदनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से, एस0के0 पाण्डेय, प्रमुख सचिव।

No. 374(2)/LXXIX-V-1-13-1(ka)7-2013 Dated Lucknow, March 28, 2013

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2013 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 10 of 2013) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 26, 2013:

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 2013

(U.P. ACT No. 10 of 2013)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

further to amend to Uttar Pradesh State Universities Act. 1973

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows :-

Short title

 This Act may by called the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2013.

Amendment of section 4 of President Act no. 10 of 1973 as amended and re-enacted by U.P. Act no. 29 of 1974 In section 4 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1-A), after clause (e), the following clauses shall be inserted, namely:-

"(f) a University to be known as Siddharth University, Kapilvastu, Siddharth Nagar;

(g) a University to be known as Allahabad State University, Allahabad;"

Amendment of section 50 In section 50 of the principal Act, after sub-section (1-B), the following sub-sections shall be inserted, namely:-

"(1-C) Until the First Statutes of the Siddharth University are made under this section, the Statutes of the University of Gorakhpur, as in force immediately before the establishment of the said University shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide.

(1-D) Until the First Statutes of the Allahabad State University, Allahabad are made under this section, the Statutes of the Chhatrapti Shahu Ji Maharaj University, Kanpur as in force immediately before the establishmen of the said University shall apply to it subject to such adaptations ar modifications as the State Government may, by notification, provide."

Amendment of section 52 In section 52 of the principal Act, after sub-section (2-A) the follow, sub-sections shall be inserted namely:-

"(2-B) Until the First Ordinances of the Siddharth University are n under sub-section (2), the Ordinances of the University of Gorakhpur, a force immediately before the establishment of the said University, shall at to it subject to such adaptations and modifications as the State Government, by notification provide."

"(2-C) Until the First Ordinances of the Allahabad State University Allahabad are made under sub-section (2), the Ordinances of the Chhac. Shahu Ji Maharaj University, Kanpur, as in force immediately before establishment of the said University, shall apply to it subject to adaptations and modifications as the State Government may, by notific provide."

नारा २५ का संश

अनुसूची का संशोधन

2:1Vidhaika_2011\818_RPf

provious

5. In the Schedule to the principal Act, -

Amendment of Schedule

- (a) for the entries appearing at Serial no. 3, 4 and 6 the following entries shall be substituted, namely:-
- "3. The University of Chhatrapti Shahu Ji Maharaj University, Kanpur -
 - (i) Until the establishment of the Allahabad State University, Allahabad
 - (ii) Upon the establishment of the Allahabad State University, Allahabad
- 4. The Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University, Gorakhpur-
 - (i) Until the establishment of the Siddharth University
- (ii) Upon the establishment of the Siddharth University
- Doctor Ram Manohar Lohia Avadh University, Faizabad
- (i) Until the establishment of Allahabad State University, Allahabad
- (ii) Upon the establishment of the Siddharth University Kapilvastu, Siddharth Nagar & Allahabad State University, Allahabad
 - (b) After the serial no. 11, the namely:-
 - "12. The Allahabad State University,
 - The Siddharth University, Kapilvastu, Siddharth Nagar

Districts of Allahabad, Amethi, Auraiya, Etawah, Farrukhabad, Fatehpur, Hardoi, Kannauj, Kanpur Dehat, Kanpur Nagar, Kaushambhi, Lakhimpur- Kheiri, Sitapur, Rae Bareli and Unnao.

Districts of Auraiya, Amethi, Etawah, Farrukhabad, Hardoi, Kannauj, Kanpur Dehat, Kanpur Nagar, Lakhimpur-Kheiri, Sitapur, Rae Bareli and Unnao.

Districts of Basti, Deoria, Gorakhpur, Kushi Nagar, Maharajganj, Santkabir Nagar and Siddharth Nagar

Districts of Deoria, Kushi Nagar and Gorakhpur."

Districts of Ambedkar Nagar, Bahraich, Balrampur, Bara Banki, Faizabad, Gonda, Pratapgarh, Shrawasti and Sultanpur

Districts of Ambedkar Nagar, Bahraich, Bara Banki, Faizabad, Gonda and Sultanpur

following serials shall be inserted,

Districts of Allahabad, Fatehpur, Kaushambi, and Pratapgarh

Districts of Balrampur, Basti, Maharajganj, Shrawasti, Siddharth Nagar and Sant Kabir Nagar"

6. (1) The State Government may, for the purpose of removing any difficulty in relation to the establishment of the Siddharth University, Kapilvastu, Siddharth Nagar and Allahabad State University, Allahabad by order published in the *Gazette*, direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission as it may deem to be necessary or expedient:

Removal of diffculties Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2013

- (2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both the Houses of the State Legislature.
- (3) No order under sub-section (1) shall be called in question in any Court on the ground that no difficulty, as is referred to in sub-section (1) existed or required to be removed.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State University existed in District Allahabad has been given the status of the Central University as such there exists no State University at present in the District of Allahabad due to which the students of adjoining area are facing difficulties in getting higher education. Similarly, there is no University in district Siddharth Nagar which is birth place of the father of Lord Gautam Buddha, and the students of adjoining area are also facing difficulties in getting higher education. With a view to facilitating the people of adjoining areas of Allahabad and Siddharth Nagar to provide higher education to their children without any difficulty, it has been decided to establish the State Universities one each in the said districts by the name of the Allahabad State University, Allahabad and the Siddharth University, Kapilvastu, Siddharth Nagar respectively by amending the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.

The Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Bill, 2013 is introduced accordingly.

By order, S. K. PANDEY, Pramukh Sachiv.